न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:—27 / 2025
जीसीएमएस नं.—2025 / 44

धर्मपाल पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी चक 19 जी डी हाल आबादी न्यू आदर्श कालोनी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— अपीलान्ट

बनाम्

1. राजपाल पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी चक 19 जी डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. जयपाल पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी चक 19 जी डी तसहील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सरपंच ग्राम पंचायत 13 एम डी पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 13 एम डी जिसकी रूह से इन्तकाल संख्या 74 दिनांक 05.05.2006 को दर्ज किया गया, को दुरूस्त करने के सम्बन्ध में।

वकील उपस्थित

1. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट — अपीलांट की ओर से
2. श्री बलदेवसिंह भगू एडवोकेट रेस्पोडन्टस सं.—1व2 की ओर से
3. ग्राम पंचायत 13 एम डी — रेस्पोडन्टस सं.—3 की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांकः—29/9/25

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि वाके चक 10 एम डी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—102 / 38 के किला नं.—6 से 12 व 13 से 25 की कुल 16 बीघा 07 बीघा यानि 4.137 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि (जिसे आयंदा अपील में अपीलाधीन भूमि कहा जाएगा) अल्ला बकश पुत्र धल्ला जाति मुसलमान निवासी सतराना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी मूल खातेदार अल्लाबक्श ने उक्त अपीलाधीन कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.—1 व 2 क्रमशः धर्मपाल, राजपाल व जयपाल पिसरान आदुराम को बहिस्सा बराबर बैचान करके व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.—1 व 2 से अपना [illegible] अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.—1 व 2 के पक्ष में बैयनामा दिनांक 18.04.20[illegible] को [illegible] गवाहन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.—1 व 2 के पक्ष [illegible]ष्पादित कर दिनां[illegible].03.2006 को पंजीकृत करवा दिया व बैयनामा के रोज [illegible] विक्रयशुदा कृषि भूमि का कब्जा मौका पर उसी दिन दिनाक 18.04.2001 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.—1 व 2 को सौंप दिया था। जिस पर तब से लेकर आज रोज तक निरंतर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.—1 व 2 का उक्त अपीलाधीन भूमि में सयुक्तं रूप से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं लेकिन हल्का पटवारी द्वारा बैयनागा के आधार पर इन्तकाल

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज करते वक्त त्रुटिवश अपीलांट का नाम दर्ज ना कर मात्र रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जिसे संरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी द्वारा उसी अनुरूप स्वीकृत किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील निम्नलिखित उधारो पर प्रस्तुत की जा रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय संरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी का आलौच्य इन्तकाल आवेश दिनांक 05.05.2006 कतई गलत विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। आलोच्य आदेश इन्तकाल सं.–74 दिनांक 05.05.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न अपील है। संरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी द्वारा भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः आलौच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। अपीलाधीन कृषि भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 द्वारा सयुक्तं रूप से मूल खातेदार अल्ला बक्श से प्रतिफल की ऐवज में जरिए बैयनामा दिनांक 18.04.2001 पंजीयन दिनांक 28.03.2006 से खरीदशुदा हैं तथा तब से लेकर आज रोज तक अपीलांट का सदभाविक खरीददार होने के नाते अपीलाधीन भूमि पर सदभाविक क्रेता की हैसियत से रेस्पोडेन्ट सं.–1 ता 2 के साथ सयुक्तं रूप से कब्जा चला आ रहा हैं लेकिन संरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी द्वारा बिना किसी प्रकार से जाचं किये रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम से इन्तकाल स्वीकृत कर दर्ज किया गया है। अतएव ऐसा इन्तकाल आरम्भ से शुन्य होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उक्त पंजीकृत बैयनामा का अवलोकन किए बिना पटवारी हल्का द्वारा त्रुटिवश अपीलांट का नाम रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम दर्ज नही किया गया तथा रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम से इन्तकाल की प्रविष्ठि दर्ज कर संरपच के समक्ष स्वीकृति हेतू प्रस्तुत किया गया जिस पर संरपच द्वारा भी बैयनामा का अवलोकन किए बिना आलौच्य इन्तकाल स्वीकृत करने की भूल की है। अतएव ऐसा इन्तकाल आरम्भ से शून्य होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन भुमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 की सयुक्त रूप से जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा हैं जो खरीद से ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के सयुक्त रूप से के निरन्तर कब्जा काश्त मे चली आ रही हैं तथा अपीलाधीन भूमि का अपीलांट सदभाविक क्रेता हैं जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा हित निहित हैं लेकिन इसके बावजूद भी संरपच द्वारा भू राजस्व अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो की अनदेखी कर [illegible]मा तथा अपीलांट के कब्जा को अनदेखाकर आलोच्य इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के पक्ष में आलीच्य इन्तकाल स्वीकृत करके भारी कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलाट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अगर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलाट अपीलाधीन भूमि के सम्बधं में समस्त तथ्य व दस्तावेज बैयनामा उनके समक्ष प्रकट करता व मौका पर अपीलांट का सयुक्तं कब्जा काश्त था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को पूर्व

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश ...
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय तोर पर आलौच्य इन्तकाल दर्ज करने में भारी कानूनी मूल की है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। सरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी का आलौच्य इन्तकाल स्वीकृति आदेश दिनांक 05.05.2006 का है। जो कि अपीलांट को बिला पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है। जिसकी अपीलाट को पूर्व में कतई जानकारी नंही थी जिसकी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17.02.2025 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई जब अपीलांट पटवारी हल्का के पास भूमि रहन मुक्त का रिकार्ड लेने के लिऐ गया तो अपीलांट को पटवारी हल्का उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम से बैयनामा के आधार पर दर्ज होने एवं अपीलांट का नाम इन्तकाल में दर्ज ना होने के बारे में अवगत करवाया गया जिस पर अपीलांट को आलौच्य आदेश की प्रथम बार जानकारी होने के उपरांत अपीलांट ने आलौच्य इन्तकाल व अन्य इन्तकालो की प्रमाणित प्रतियां पटवारी हल्का से दिनांक 17.02.2025 को ही प्राप्त की तत्पश्चात अपीलांट ने अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर यह अपील तैयार करवाकर आज रोज बिना किसी देरी के अपील इल्म से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश कर निवेदन किया जा रहा है। चूकिं संरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी द्वारा पारित आलौच्य आदेश इन्तकाल दिनांक 05.05.2006 आरम्भ से गलत व विधि विरूद्ध है तथा ऐसे विधि विरूद्ध आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती। चूकिं अपीलाधीन कृषि भुमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 की सयुक्तं रूप से जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा हैं जो खरीद से ही अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के सयुक्त रूप से के निरन्तर कब्जा काश्त मे चली आ रही हैं तथा अपीलाधीन भूमि का अपीलांट सदभाविक क्रेता हैं जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा हित निहित हैं संरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी का आलौच्य इन्तकाल आदेश दिनांक 05.05.2006 का है जो कि अपीलांट को बिला पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एवं नोटिस दिये बिना एक पक्षीय पारित किया है। चूकिं अपीलांट आलौच्य आदेश से सिधे तोर पर व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर ★ जिला श्रीगंगानगर

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर संरपच ग्राम पंचायत 13 एम डी का आलौच्य आदेश [illegible]5.05.2006 जिसकी रूह से रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम से [illegible] दिनांक 28.03.2006 के आधार पर अपील में वर्णित कृषि भूमि का [illegible] सं. 74 दिनांक 05.05.2006 को स्वीकृत किया गया है, को अपास्त किया जा[illegible] अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम से सयुक्तं रूप से उक्त पंजीकृत बैयनामा के आधार पर अपीलाधीन भूमिका इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांटस एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता की ओर श्री बलदेव

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सिंह भगू ने न्यायालय के सक्षम उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम रेस्पोडेटस सं.–1 व 2 अपीलाटस द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 18.04.2001 को खरीद की थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2006 को इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से अपीलान्टस को छोड़कर रेस्पोडेन्स सं.–1 व 2 के नाम से ही इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जो कि एक स्वभाविक भूल है। श्रीमान न्यायालय अपील स्वीकार कर उक्त बैयनामा के आधार पर अपीलान्टस के पक्ष के उसके हिस्से का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश देता तो इससे हम रेस्पोडेटस सं.–1 व 2 को कोई आपति नहीं हैं हम भी अपीलान्टस धर्मपाल के पक्ष उक्त बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र/राजीनामा पेश कर निवेदन है। कि अपील अपीलान्टस स्वीकर की जाती है। जो हम रेस्पोडेटस सं.–1 व 2 को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा दौरान बहस कथन किया कि अपील में वर्णित भूमि से सम्बन्धित विवाद केवल अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 कृषि भूमि को इन्तकाल सं.–74 दिनांक 05.05.2006 को स्वीकृत किया गया हैं जो अपास्त किया जाकर अपीलाट के पक्ष में उसके हिस्से का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिया जाता हैं तो रेस्पोडेटस सं.–1 व 2 को आपति नहीं है। अपीलाट धर्मपाल के पक्ष में उक्त बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए सहमत है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस सं.–1 व 2 के नाम से सयुक्त रूप से उक्त पंजीकृत बैयनामा के आधार पर अपीलाधीन भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाना चाहते है। अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। इसलिए उक्त अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपर्युक्त अपील को राजीनामा अनुसार निर्णित करवाना चाहते है।

न्यायालय की राय में पत्रावली पर संलग्न इंतकाल संख्या 74 दिनांक 05.05.2006 से संबंध नामान्तरकरण रजिस्टर के पृष्ठों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि इन्तकाल संख्या 74 के अनुसार रेस्पोडन्टस सं.–1 व 2 के नाम की 4.137 हैक्टर कमाण्ड व अनकमाण्ड कृषि भूमि रेस्पोडन्टस सं.–1 व 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। जो बैचान की गई कृषि भूमि बैयनामा के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडन्टस सं.–1 व 2 के नाम से बराबर हिस्से में दर्ज होनी चाहिए थी जबकि [illegible] अनुसार जो कतई गलत अशुद्ध, अवैधानिक होने के कारण काबिल [illegible] के है। उपर्युक्त विवेचन एवं अपीलार्थी व प्रत्यार्थी [illegible] राजीनामा के आ[illegible]र अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 13 एम डी द्वारा तस्दीक एवं अपीलग्रस्त इंतकाल संख्या 71 दिनांक 05.05.2006 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश ...
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता हैं कि विधिक प्रावधान अनुसार उभय पक्ष को सुनकर पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested